



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 2005/आश्विन 14, 1927

No. 1076]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2005/ASHWIN 14, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2005

(अध्याकर)

का.आ. 1466(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 31 जुलाई, 2001 अधिसूचना संख्या का.आ. 733 (अ) तथा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 734 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

(i) दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 733 (अ) की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 1, 12, 24, 32, 39, 44, 49, 51, 55, 57, 69, 73, 74, 76, 78, 81 तथा 85 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

अनुसूची-I

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-I	दिल्ली	आयकर आयुक्त, दिल्ली-I
12.	मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-I	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, मुम्बई-I (ii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XI

24.	मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-I	चेन्नई	(i) आयकर आयुक्त, चेन्नई-I (ii) आयकर आयुक्त, चेन्नई-II
32.	मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-I	अहमदाबाद	(i) आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-I (ii) आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-II
39.	मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे-I	पुणे	(i) आयकर आयुक्त, पुणे-I (ii) आयकर आयुक्त, पुणे-II (iii) आयकर आयुक्त, पुणे-V
44.	मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-I	बंगलौर	(i) आयकर आयुक्त, बंगलौर-I (ii) आयकर आयुक्त, बंगलौर-II
49.	मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर	जयपुर	(i) आयकर आयुक्त, जयपुर-I (ii) आयकर आयुक्त, जयपुर-II (iii) आयकर आयुक्त, जयपुर-III (iv) आयकर आयुक्त, अलवर
51.	मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़	चंडीगढ़	(i) आयकर आयुक्त, चंडीगढ़-I (ii) आयकर आयुक्त, चंडीगढ़-II (iii) आयकर आयुक्त, पटियाला
55.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोचीन	कोचीन	(i) आयकर आयुक्त, कोचीन (ii) आयकर आयुक्त, त्रिचूर (iii) आयकर आयुक्त, कालीकट (iv) आयकर आयुक्त, कन्नूर
57.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-I	कोलकाता	(i) आयकर आयुक्त, कोलकाता-I
69.	मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद-I	हैदराबाद	(i) आयकर आयुक्त, हैदराबाद-I (ii) आयकर आयुक्त, हैदराबाद-IV (iii) आयकर आयुक्त, हैदराबाद-V (iv) आयकर आयुक्त(टीडीएस), हैदराबाद
73.	मुख्य आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	(i) आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर (ii) आयकर आयुक्त, कट्टक (iii) आयकर आयुक्त, सम्बलपुर
74.	मुख्य आयकर आयुक्त, गुवाहाटी	गुवाहाटी	(i) आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-I (ii) आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-II (iii) आयकर आयुक्त, जोरहट
76.	मुख्य आयकर आयुक्त, पटना-I	पटना	(i) आयकर आयुक्त, पटना-I (ii) आयकर आयुक्त, भागलपुर (iii) आयकर आयुक्त, धनबाद

78.	मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल	भोपाल	(i) आयकर आयुक्त, भोपाल (ii) आयकर आयुक्त, जबलपुर-I (iii) आयकर आयुक्त, जबलपुर-II (iv) आयकर आयुक्त, ग्वालियर
81.	मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ -I	लखनऊ	(i) आयकर आयुक्त, लखनऊ-I (ii) आयकर आयुक्त, लखनऊ-II (iii) आयकर आयुक्त, फैजाबाद (iv) आयकर आयुक्त, बरेली
85.	मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर	कानपुर	(i) आयकर आयुक्त, कानपुर-I (ii) आयकर आयुक्त, कानपुर-II (iii) आयकर आयुक्त, आगरा-I (iv) आयकर आयुक्त, आगरा- II

(ii) दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 734 (4) की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 1 से 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

अनुसूची-I

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर महानिदेशक (जांच), दिल्ली	दिल्ली	(i) आयकर निदेशक(जांच), दिल्ली-I (ii) आयकर निदेशक(जांच), दिल्ली-II (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), दिल्ली
2.	आयकर महानिदेशक (जांच), मुम्बई	मुम्बई	(i) आयकर निदेशक(जांच), मुम्बई-I (ii) आयकर निदेशक(जांच), मुम्बई-II (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), मुम्बई
3.	आयकर महानिदेशक (जांच), चेन्नई	चेन्नई	(i) आयकर निदेशक(जांच), चेन्नई (ii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), चेन्नई (iii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), चेन्नई-I (iv) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), चेन्नई-II (v) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), चेन्नई-III

4.	आयकर महानिदेशक (जांच), कोलकाता	कोलकाता	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता-I (ii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता-II (iii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता-III (iv) आयकर निदेशक (जांच), कोलकाता (v) आयकर निदेशक (जांच), भुवनेश्वर (vi) आयकर निदेशक (जांच), गुवाहाटी (vii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), कोलकाता (viii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), भुवनेश्वर (ix) आयकर आयुक्त (सीआईबी) गुवाहाटी
5.	आयकर महानिदेशक (जांच), अहमदाबाद	अहमदाबाद	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद-I (ii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद-II (iii) आयकर निदेशक (जांच), अहमदाबाद (iv) आयकर आयुक्त (सीआईबी), अहमदाबाद
6.	आयकर महानिदेशक (जांच), पुणे	पुणे	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), पुणे (ii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर (iii) आयकर निदेशक (जांच), पुणे (iv) आयकर निदेशक (जांच), नागपुर (v) आयकर आयुक्त (सीआईबी), पुणे
7.	आयकर महानिदेशक (जांच), बंगलौर	बंगलौर	(i) आयकर निदेशक (जांच), बंगलौर (ii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), बंगलौर (iii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर
8.	आयकर महानिदेशक (जांच), जयपुर	जयपुर	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), जयपुर (ii) आयकर निदेशक (जांच), जयपुर (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), जयपुर
9.	आयकर महानिदेशक (जांच), चंडीगढ़	चंडीगढ़	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना (ii) आयकर निदेशक (जांच), पंचकुला (iii) आयकर निदेशक (जांच), लुधियाना (iv) आयकर आयुक्त (सीआईबी) चंडीगढ़
10.	आयकर महानिदेशक (जांच), कोचीन	कोचीन	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कोचीन (ii) आयकर निदेशक (जांच), कोचीन (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी) कोचीन

11.	आयकर महानिदेशक (जांच), हैदराबाद	हैदराबाद	(i) आयकर निदेशक (जांच), हैदराबाद (ii) आयकर आयुक्त, (सीआईबी), हैदराबाद (iii) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद
12.	आयकर महानिदेशक (जांच), पटना	पटना	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), पटना (ii) आयकर निदेशक, (जांच), पटना (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), पटना
13.	आयकर महानिदेशक (जांच), भोपाल	भोपाल	(i) आयकर निदेशक (जांच), भोपाल (ii) आयकर आयुक्त, (सीआईबी), भोपाल
14.	आयकर महानिदेशक (जांच), लखनऊ	लखनऊ	(i) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर (ii) आयकर निदेशक, (जांच), कानपुर (iii) आयकर आयुक्त (सीआईबी), कानपुर (iv) आयकर आयुक्त (सीआईबी), लखनऊ

[अधिसूचना सं. 210/2005/फा. सं. 187/21/2005-आयकर नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी:- (1) मूल अधिसूचना सं. 733 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 को तदनन्तर (1) का.आ. 846 (अ) दिनांक 30.8.2001; (2) का.आ. 104 (अ) दिनांक 24.1.2002; (3) का.आ. 401 (अ) दिनांक 10.4.2002; (4) का.आ. 773 (अ) दिनांक 19.7.2002; (5) का.आ. 1262 (अ) दिनांक 03.12.2002; (6) का.आ. 220 (अ) दिनांक 25.02.2003; (7) का.आ. 745 (अ) 30.06.2003; (8) का.आ. 978 (अ) दिनांक 27.08.2003; (9) का.आ. 1104 (अ) दिनांक 25.09.2003 ; (10) का.आ. 25 (अ) दिनांक 08.01.2004 ; (11) का.आ. 159 (अ) दिनांक 04.02.2004 ; (12) का.आ. 431 (अ) दिनांक 31.03.2004 ; एवं (13) का.आ. 856 (अ) दिनांक 29.07.2004 के तहत संशोधित किया गया था ।

(11) मूल अधिसूचना सं. का. आ. 734 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 को तदनन्तर (1) का.आ. 888 (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2001; (2) का.आ. 103 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2002; (3) का.आ. 1263 (अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 2002; , एवं (4) का.आ. 1104 (अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2003 के तहत संशोधित किया गया था ।